

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
आदेश

08 APR 2013

रायपुर, दिनांक

क्रमांक-एफ-1-16/2008/सात-3:: राज्य शासन एतद् द्वारा उप आयुक्त भू-अभिलेख, कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छ0ग0 रायपुर को वित्तीय अधिकार पुस्तक भाग-1 खण्ड-1, सरल क्रमांक-3 के तहत छ0ग0 वि0सं0 जिल्द एक, नियम-2 (23) वि0वि0 का ज्ञाप क्रमांक ई-17/2/79-नियम-पांच/चार, दिनांक 31.12.79 के तहत अपर आयुक्त भू-अभिलेख की पदस्थापना होने तक कार्यालय प्रमुख घोषित करता है ।

02. अपर आयुक्त भू-अभिलेख की पदस्थापना होने पर यह आदेश स्वमेव शून्य माना जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(सी0 तिकी)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ-1-16/2008/सात-3,
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 08 APR 2013

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर
02. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
03. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर ।
04. सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, रायपुर ।
05. आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
06. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
07. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ ।
08. उपायुक्त, भू-अभिलेख, जिला रायपुर, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा ।
09. कोषालय अधिकारी जिला रायपुर ।
10. संचालक, NIC मंत्रालय, रायपुर की ओर राजस्व विभाग की वेबसाईट <http://cg.nic.in/revenue> में अपलोड करने हेतु प्रेषित, आर्डर बुक ।
11. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

